



2026:AHC:65166

उच्च न्यायालय, न्यायिक पीठ इलाहाबाद

आवेदन अंतर्गत धारा 528 बी.एन.एस.एस. संख्या - 9856 वर्ष 2026

अविनाश पांडेय

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

..... विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अजय कुमार मिश्रा, सचिन त्रिपाठी

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 77

माननीय न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, को सुना गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. वर्तमान आवेदन आरोप-पत्र दिनांक 25.04.2018 तथा संज्ञान/समन आदेश दिनांक 19.05.2018, तथा वाद संख्या 12986 वर्ष 2020 (राज्य बनाम अविनाश पांडेय) की संपूर्ण कार्यवाही, जो केस क्राइम संख्या 524 वर्ष 2017, धारा 406, 420, 504, 506 भारतीय दंड संहिता, थाना बलदेव, जनपद मथुरा से उत्पन्न हुई है तथा सिविल जज (सीनियर डिवीजन), न्यायालय संख्या-1, मथुरा के न्यायालय में लंबित है, को निरस्त करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने विवादित आरोप-पत्र, संज्ञान/समन आदेश तथा वर्तमान प्रकरण की समस्त कार्यवाही को मुख्यतः इस आधार पर चुनौती दी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली रेस क्लब (1940) लिमिटेड एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2024) 10 एस.सी.सी. 690 में प्रकाशित है, के प्रकरण में स्थापित विधि सिद्धांत के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 420 तथा 406 एक साथ लागू नहीं की जा सकती। उक्त निर्णय का प्रासंगिक अंश निम्नवत् पुनरुत्पादित किया जा रहा है:-

"38. हमारे विचार में, शिकायत का सामान्य पठन उपर्युक्त आवश्यक तत्वों को स्पष्ट नहीं करता है। हम केवल यह कहना चाहते हैं कि पुलिस तथा अधीनस्थ न्यायालयों के मन में विधि संबंधी गंभीर भ्रांति को दूर करने के लिए यदि शिकायतकर्ता का यह मामला है कि धारा 405 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत परिभाषित आपराधिक न्यास भंग का अपराध, जो धारा 406 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय है, अभियुक्त द्वारा किया गया है, तो उसी समय यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त ने धारा 415 भारतीय दंड



संहिता के अंतर्गत परिभाषित धोखाधड़ी का अपराध भी किया है, जो धारा 420 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय है।

41. मात्र अनुबंध के उल्लंघन तथा आपराधिक न्यास भंग एवं धोखाधड़ी के अपराध के बीच सूक्ष्म अंतर है। धोखाधड़ी के मामले में प्रेरित करने के समय अभियुक्त की मंशा देखी जानी चाहिए, जिसका आकलन बाद के आचरण से किया जा सकता है, परंतु इसके लिए बाद का आचरण ही एकमात्र परीक्षण नहीं है। मात्र अनुबंध का उल्लंघन, धोखाधड़ी के लिए आपराधिक अभियोजन का आधार नहीं बन सकता, जब तक कि लेन-देन के प्रारंभ से ही कपटपूर्ण या बेईमानी की मंशा प्रदर्शित न हो।

43. आपराधिक न्यास भंग तथा धोखाधड़ी के बीच अंतर है। धोखाधड़ी के लिए झूठा या भ्रामक प्रस्तुतीकरण करते समय प्रारंभ से ही आपराधिक मंशा आवश्यक है। आपराधिक न्यास भंग के मामले में केवल न्यास का सिद्ध होना पर्याप्त है। अतः आपराधिक न्यास भंग में संपत्ति विधिपूर्वक सौंपी जाती है तथा अभियुक्त द्वारा उसका बेईमानी से दुरुपयोग किया जाता है, जबकि धोखाधड़ी के मामले में अभियुक्त किसी व्यक्ति को धोखा देकर संपत्ति देने के लिए प्रेरित करता है। ऐसी स्थिति में दोनों अपराध एक साथ अस्तित्व में नहीं रह सकते।

55. अब समय आ गया है कि देश भर के पुलिस अधिकारियों को विधि का उचित प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे वे धोखाधड़ी तथा आपराधिक न्यास भंग के अपराधों के बीच सूक्ष्म अंतर को समझ सकें। दोनों अपराध स्वतंत्र एवं

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



भिन्न हैं। दोनों अपराध एक ही तथ्यों में एक साथ अस्तित्व में नहीं रह सकते। वे एक-दूसरे के विपरीत हैं। भारतीय दंड संहिता (अब बी.एन.एस. 2023) के ये दोनों प्रावधान जुड़वां नहीं हैं कि एक के बिना दूसरा जीवित नहीं रह सकता।"

4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता. ने वर्तमान आवेदन के माध्यम से की गई प्रार्थना का जोरदार विरोध किया, किन्तु आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत विधि के स्थापित सिद्धांत का खंडन करने में असमर्थ रहे।
5. चूँकि आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विधिक प्रश्न उठाया गया है, अतः विपक्षी पक्ष संख्या-2 को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया से एतद्वारा छूट प्रदान की जाती है।
6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने, अभिलेख का अवलोकन करने तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **दिल्ली रेस क्लब (सुप्रा)** के मामले में दिए गए निर्णय पर विचार करने के पश्चात यह पूर्णतः स्पष्ट है कि दोनों धाराएँ अर्थात् धारा 420 एवं 406 भारतीय दंड संहिता एक साथ लागू नहीं की जा सकतीं और इस प्रकार संज्ञान/समन आदेश दिनांक 09.06.2016 निरस्त किए जाने योग्य है। यद्यपि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **दिल्ली रेस क्लब (सुप्रा)** के मामले में निर्णय दिनांक 23.08.2024 को पारित किया गया है तथा वर्तमान मामले में अपराध का संज्ञान दिनांक 09.06.2016 को लिया गया था, तथापि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **कनिष्क सिन्हा एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य [2025 SCC Online SC 443]** के मामले में दिए गए निर्णय के अनुसार, जब तक निर्णय में

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विशेष रूप से यह न कहा गया हो कि निर्णय भावी प्रभाव से लागू होगा, तब तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सदैव पूर्वव्यापी प्रभाव वाला होता है।

7. उपर्युक्त के आलोक में, वाद संख्या 12986 वर्ष 2020 (राज्य बनाम अविनाश पांडेय), जो केस क्राइम संख्या 524 वर्ष 2017, धारा 406, 420, 504, 506 भारतीय दंड संहिता, थाना बलदेव, जनपद मथुरा से उत्पन्न हुआ है तथा सिविल जज (सीनियर डिवीजन), न्यायालय संख्या-1, मथुरा के न्यायालय में लंबित है, में पारित संज्ञान/समन आदेश दिनांक 19.05.2018 को एतद्वारा निरस्त किया जाता है। मामले को संबंधित न्यायालय को पुनः प्रेषित किया जाता है ताकि, यदि आवश्यक हो, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली रेस क्लब (सुप्रा) के मामले में स्थापित विधि के सिद्धांत के आलोक में अपराध के संज्ञान के संबंध में नया आदेश पारित किया जाए।

8. तदनुसार, वर्तमान आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

दिनांक : 26 मार्च, 2026

सैफ

(न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।